

Email

S.NO. 18(R)

dpd.mp@nic.in



RTI Application of Sh. Om Prakash Mishra

From : Tonsing Kamzapau <kp.tonsing@nic.in> Mon, Jul 13, 2020 03:59 PM
Subject : RTI Application of Sh. Om Prakash Mishra 1 attachment

To : director docd
<director_docd@rediffmail.com>,
Director Jute Development Kol
<djd@nic.in>, DMD, Jaipur
<dmdrj00@nic.in>, DOD <dod@nic.in>,
dpd.mp <dpd.mp@nic.in>, Directorate of
Rice Development <drdpatna@nic.in>,
Director Sugarcane <dsd@nic.in>, dwd
wheat <dwd.wheat@gmail.com>, Bipul
Kumar Srivastava
<srivastava.bipul@nic.in>,
bks941964@yahoo.com, DMD, Jaipur
<dmdrj00@nic.in>

All CDDs,

Kindly find the attached RTI Application of Sh. Om Prakash Mishra and provide the information pertaining to your Directorate to CA-III latest by 15.07.2020 , if any

Yours faithfully,

Sd/-

T. Kamzapau

Under Secretary to the Govt. of India
Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Room No.527-A, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110001
Office Telephone: 23384551, Intercom: 4827
Mobile No: +91-8527174659
Email: kp.tonsing@nic.in



om prakash mishra.pdf
3 MB

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Registration Number (पंजीकरण संख्या) : | DOA&C/R/E/20/01436 | Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) : | 06/07/2020 |
| Type of Receipt (रसीद का प्रकार) : | Online Receipt | Language of Request (अनुरोध की भाषा) : | English |
| Name (नाम) : | OM PRAKASH MISHRA | Gender (लिंग) : | Male |
| Address (पता) : | MUHALLA KATRA, POST BARUASAGAR, DISTRICT JHANSI, Pin:284201 | | |
| State (राज्य) : | Uttar Pradesh | Country (देश) : | India |
| Phone Number (फोन नंबर) : | Details not provided | Mobile Number (मोबाईल नंबर) : | +91-9838892366 |
| Email-ID (ईमेल-आईडी) : | opmishra.bwr@gmail.com | | |
| Status (स्थिति)(Rural/Urban) : | Urban | Education Status : | |
| Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) : | No | Citizenship Status (नागरिकता) : | Indian |
| Amount Paid (राशि का भुगतान) : | 10) (original recipient) | Mode of Payment (भुगतान का प्रकार) : | Payment Gateway |
| Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है?) : | No(Normal) | Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) : | T. Kamzapau (Crops) |
| Information Sought (जानकारी मांगी): | PLEASE FIND ENCLOSED LETTER FOR RTI | | |

Print

Save

Close

161
सेवा में,

श्रीमान् निदेशक/जनसूचना अधिकारी महोदय,
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली
प्रथम तल, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएँ प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

संलग्न पत्र को संज्ञान में लेते हुये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. महोदय जी, दिनांक 03.11.2019 में आपकी टीम ने झॉंसी जिले का दौरा किया था जिसमें खरीफ की फसल-2019 की अतियुष्टि से हुयी क्षति का आकलन किया था और उस आकलन में 70 प्रतिशत नुकसान की घोषणा की गई थी। इस संदर्भ में प्रार्थी के प्रेषित पत्र दिनांक 29.05.2020 पर आप द्वारा ब्या कार्यवाही की गई है कृपया सूचना उपलब्ध कराये।
2. प्रार्थी को अभी तक उसकी खरीफ 2019 की क्षतिपूर्ति/मुआवजा प्राप्त क्यों नहीं हुआ। इसकी सूचना उपलब्ध कराये।

अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत चाही गई सूचनाएँ निर्धारित समयवधि में प्रदान करने की कृपा करें।

सूचनाओं हेतु शुल्क के रूप में 10 रु० मूल्य का नोट सं. 67B 321705 संलग्न है।

दिनांक : 01.07.2020

प्रार्थी

संलग्न : दिनांक 29.05.2020 को प्रार्थी द्वारा
प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति। (दैनिक जागरण
एवं दैनिक अमर उजाला झॉंसी समाचार पत्रों
की छायाप्रतियाँ सहित।)

ओम प्रकाश मिश्रा
ओम प्रकाश मिश्रा (वरिष्ठ नागरिक)
निवासी- मुहल्ला कटरा
मु० व पोस्ट- बरुआसागर,
जिला-झांसी (उ०प्र०)
मो०नं० : 9838892366

सेवा में

श्रीमान निदेशक महोदय डी० मानसिंह जी
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय (भारत सरकार)
नई दिल्ली

विषय : खरीफ फसल वर्ष 2019 में हुयी अतिवृष्टि से किसानों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व० श्री उदय करन मिश्रा (वरिष्ठ नागरिक) हाल निवास- कटरा, बरूआसागर, जिला-झाँसी की कृषि भूमि ग्राम हरपुरा, ब्लॉक-बड़ागांव, तहसील ब जिला-झाँसी में है। सितम्बर, 2019 में हुयी अतिवृष्टि के कारण किसानों की खरीफ की फसल जिसमें तिली, उर्द, मूंग, मूंगफली की फसलों की क्षति हुई थी। इस सम्बन्ध में आप के नेतृत्व में केन्द्रीय दल जिसमें परियोजना निदेशक बलवीर सिंह, निदेशक अपर गंगा बेसिन सी डब्लू सी, बी०सी० विश्वकर्मा तथा उप सचिव केन्द्रीय ऊर्जा प्राधीकरण लवकुश सिंह द्वारा दिनांक 03.11.2019 में सर्वे किया गया था। उक्त दल ने झाँसी तहसील में खरीफ की फसल में 70% नुकसान होने की घोषणा की थी। इससे सम्बन्धित समाचार दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, झाँसी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। जिनकी छायाप्रतियां संलग्न हैं।

इस क्षति पूर्ति की केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसानों की भरपाई की जानी थी जो कि आज तक नहीं हुयी है। इसका क्या कारण रहा प्रार्थी जानने का इच्छुक है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त खरीफ की फसल में प्रार्थी एवं ग्राम हरपुरा, ब्लॉक-बड़ागांव, तहसील ब जिला-झाँसी के किसानों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थी को हुई क्षति का मुआवजा प्रदान कराने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

धन्यवाद।

दिनांक : 29.05.2020

संलग्न : छायाप्रतियां -

1. दिनांक 03.11.2019, 04.11.2019 के दैनिक जागरण एवं अमर उजाला झाँसी दैनिक समाचार पत्रों की छायाप्रतियां

प्रार्थी
ओम प्रकाश मिश्रा
ओम प्रकाश मिश्रा (वरिष्ठ नागरिक)
निवासी- मुहल्ला कटरा
मु० व पोस्ट- बरूआसागर
जिला-झाँसी (उ०प्र०)
मो०नं० : 9838892366

समाचार पत्र 31/11/2016
दैनिक जागरण भा.सी



सौराष्ट्र अतिवृष्टि: 35 डि.से. न्यूनतम: 19 डि.से.

| सौराष्ट्र आज | सौराष्ट्र बुध | सौराष्ट्र बुध | सौराष्ट्र बुध |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| तापमान (°C) 32, 22 | 32, 20 | 32, 18 | 32, 17 |

झाँसी

जागरण

छठ पूजा की शुभकामनाएं

जीमिया

शुद्ध प्लस

तुम में भी मैं

खाने लायक नहीं बची उपज

अतिवृष्टि से 70 फीसदी फसलों के नुकसान का अनुमान

- भारत सरकार के अध्ययन दल ने बुन्देलखण्ड में डेरा डाला
- ललितपुर में जीव के बाढ़ झौंसी पहुँची टीम
- अधिकारियों व किसानों से की वार्ता

झाँसी : सितम्बर माह में हुई बारिश ने घरती को भले ही तुल्य कर दिया, लेकिन घरती पुत्रों के नसीब में बर्बादी की कहानी भी लिख दी। अतिवृष्टि के कारण 70 फीसदी से अधिक फसलों के नुकसान का अनुमान है, और जो उपज बची है, वह खाने लायक नहीं रह गई। फसलों को हड़ क्षति का आकलन करने के लिए भारत सरकार के अध्ययन दल ने बुन्देलखण्ड में डेरा डाल दिया है।

ललितपुर में जीव के बाढ़ टीम झाँसी पहुँची और यहाँ से महोबा व बाँदा के लिए रवाना होगी।

मौनसून सीजन में इस बार प्रकृति ने दोहरा रूप दिखाया। जुलाई व अगस्त माह में किसानों को जब बारिश का इन्तजार था, तो अलमन से घटती राख रही। इससे खरीफ में कोई गड़ उड़द, मूँग व मूँगफली की पैदावार प्रभावित हुई। किसी तरह किसानों ने फसलों को जीव कर तैयार किया, लेकिन प्रकृति फिर कहर बन गई। सितम्बर माह में मौनसून ने रूपार प्रकट की। अधिक बारिश के कारण खेतों में खड़ी उड़द, मूँग, मूँगफली व जिल की फसल बर्बाद हो गई। अतिवृष्टि से तबाह किसानों ने ही-हन्ला किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने फौरी सर्वे कराया। बर्बाद विधायक राजीव सिंह घासीछा व गरीबा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने किसानों की पीड़ा से शासन को अवगत कराया और प्लॉट-टू-प्लॉट सर्वे कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने की माँग की। अन्य जनपदों से भी अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की शिकायत सामने आने पर भारत सरकार ने 2 टीम का गठन किया, जिन्हें अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 51 जिलों में सर्वे करने के निर्देश दिए गए। निदेशक कृषि मन्त्रालय डॉ. मान सिंह के नेतृत्व में परियोजना निदेशक बलवीर सिंह, निदेशक अपर गंगा बेसिन सीडब्लूसी बीसी विश्वकर्मा तथा उप सचिव कन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण लवकुश सिंह ने बुन्देलखण्ड में डेरा डाल दिया है। सोमवार को टीम ने ललितपुर कृषि मण्डी व तालबेहट मण्डी में उपज की जीव की। इसके बाद जाखलीन विकास खण्ड के ग्राम पिपरिया बरस व बरसेडा जाकर किसानों से वार्ता की और नुकसान की जानकारी ली। खेतों पर जाकर भी अधिकारियों ने क्षति का आकलन किया। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के बाद टीम शाम को झाँसी पहुँची। यहाँ भोजला मण्डी में जाकर किसानों से वार्ता की तथा

बुन्देलखण्ड में बारिश से हुई क्षति का आकलन करने आते भारत सरकार की टीम ने मण्डी व खेत में जाकर क्षति का अध्ययन किया, तो किसानों के घर में खड़ी उपज की भी जीव की। टीम ने किसानों के घर से ही उड़द, मूँग व जिल के सेमकल लिए, जिसे भारत सरकार को सीमा जागरण।

किसानों के घर से लिए उपज के सेमकल

उपज देखी। सोमवार को टीम गाँव-गाँव जाकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय सत्यापन करेगी। सक्रित हाउस में टीम के सदस्य बलवीर सिंह ने बताया कि किसानों, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से मिले फीडबैक के अनुसार ललितपुर व झाँसी में 70 फीसदी से अधिक फसलों की क्षति पहुँची है, जबकि शेष बची फसल भी गुणवत्ताहीन है, जो खाने लायक नहीं है। रविवार को टीम जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद महोबा व बाँदा के लिए रवाना हो जाएगी।

अन्य फसलों के नुकसान को भी माँग पत्र में शामिल करें

साधु का शव मिला

शान्ति
कार्यवाही
सी) : पुलिस ने 2
3 विरुद्ध शान्तिभंग की
कर दी। ग्राम सचिव
खलनाथ द्वारा माली-
ने घर व नीरज निवासी
प्रगढ़ने पर पुलिस ने
वी वॉर 151 के तहत
वी।

ला ने खाया
विषाक्त
वि। : सदियु हाकाली
हिला ने विषाक्त पदार्थ
अर लिखा। खानाकोन के
कसी 30 वर्षीय महिला
को दोपहर विषाक्त
वन घर लिखा, हस्त
पर परिजन उसे लेकर
स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचे,
वे शॉसी रिपार कर




मऊरानीपुर : भारतीय किसान यूनियन के-तीय अध्ययन दल।

केन्द्रीय दल ने माना, फ़सलों को पहुँचा है नुकसान

केन्द्रीय दल को किसान नेताओं ने सौंपे ज्ञापन

● शेष बची फ़सलें खाने योग्य नहीं



मऊरानीपुर (झाँसी) : भारत सरकार के अध्ययन दल ने आज मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम घुराट, जावन, राधौरा में जाकर वहाँ के हालातों और फ़सलों को देखा। किसानों से बात की। टीम ने माना कि अतिवर्षा से यहाँ की उर्द, मूँग, मूँगफली की पैदावार को भारी नुकसान हुआ। शेष बची फ़सलें गुणवत्ताहीन हैं, जो खाने लायक नहीं हैं। इसके अलावा टीम ने बरआसानी के घाटे और घुघुआ मूँग में किसानों की खराब फ़सलें का सर्वे किया।

कृषि मन्त्रालय के निदेशक डॉ. मानसिंह के नेतृत्व में परियोजना निदेशक बलवीर सिंह, अवरमंत्र

बंशिन सौहार्दयुसी के निदेशक वीसी विश्वकर्मा, केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण के उपमंडल लक्ष्मण

सिंह ने किसानों से बात की। मूँग-मूँग जाकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय स्थापन

किया। मऊरानीपुर समित 14/3 में किसानों का प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय दल को ज्ञापन सौंपे।

मऊरानीपुर : भारतीय किसान यूनियन भानु के बुन्देलखण्ड अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में भारत यादव, प्यारेलाल बेघट्ट, अनुराग सिंह परिहार, नितिन यादव, योगेश मिश्रा ने केन्द्रीय दल को बताया कि इस वर्ष खरीफ़ की फ़सल 90 फीसदी तोपट हो गयी है। किसानों को बीमा क्लेम तथा मुआवजा दिलवाया जाय। बताया कि 10 माह पूर्व जिन किसानों ने अपने खरीफ़ की उपज, उर्द, मूँग, तिली, मूँगफली तरकारी खरीद केन्द्र पर बेची थी। इनमें से तमाम किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। भुगतान कराया जाये। किसान नेताओं का कहना था कि बुन्देलखण्ड का किसान बीच वर्षों से ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, वैसीसी काँडे, साहू कारों के कर्जे के चलते परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। इस वर्ष फ़सलें नष्ट हो गयीं। धन के अभाव में रवि की फ़सल पर संकट आ गया है। जानकारी दी कि किसान शासन की ओर टकटकी लगाये मदद की गुहार लगा रहा है। केन्द्रीय अध्ययन दल के साथ उप जिलाधिकारी सतीशचन्द्र ने खेतों में जाकर तबाह हुयी फ़सलों के अवशेष खेत व खलिहानों में जाकर देखे।

● भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमण्डल कमलेश तम्बरदार के नेतृत्व में जिला उपअध्यक्ष



ज्ञापन देकर अपनी बात रखते किसान नेता अरिहलेश लितौरा, लक्ष्मीप्रसाद तियाड़ी, मोटीराम, बानसिंह, सम्तराम कुशवाहा के साथ केन्द्रीय अध्ययनदल को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बताया कि लगातार किसान दुबली लायत की खेती कर रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसे विकसित प्रान्तों में बिजली निजी ट्रुथोल के तले फ़ी है। उसी तरह बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली फ़ी की जाये। लगातार दैवीय आपदाओं के कारण किसान बैकों व साहूकारों के कर्जे के तले डूब चुका है। आज बीज व खाद की आवश्यकता है। पैसों की अभाव में बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों को मुआवजा राशि तथा बीमा क्लेमराशि दिलाये जाने की माँग की।

मऊरानीपुर में किसानों का प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय दल को ज्ञापन सौंपे।

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
दलहन विकास निदेशालय
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन
भोपाल-462 004 (म.प्र.)



सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Deptt. of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
Directorate of Pulses Development
6th Floor, Vindhyachal Bhavan
Bhopal - 462004 (M.P.)

Website: dpd.gov.in; E-mail: dpd.mp@nic.in Telefax: 0755-2571678, Phone: 0755-2550353/ 2572313

F. No. 1-4/2019-DPD/ 279

Dated: 14.07.2020

To,

The Under Secretary (Crops)
Govt. of India
Min. of Agri. & FW (DAC&FW),
Krishi Bhavan, New Delhi-110001

Subject: Application of Shri Om Prakash Mishra, Jhansi (UP) under Right to information Act, 2005- Regarding.

Sir,

Reference to your e-mail dated 13.07.2020 and RTI application of Shri Om Prakash Mishra, Jhansi (UP) under Registration No. DOA&C/R/E/20/01436 dated 06.07.2020. The information under RTI application sought by the applicant pertaining to this Directorate may kindly be treated as **NIL**.

Yours faithfully,

Vipin Kumar
14-7-2020
(Vipin Kumar)

Assistant Director/CPIO

O/c

गोपनीय / ISSUED
दिनांक 14/07/2020
द्वारा / By

11/26/2020

S.No. 22(R)

(171)

Email

Email

dpd.mp@nic.in

RTI Application URGENT - reg.

From : Tonsing Kamzapau <kp.tonsing@nic.in>

Thu, Nov 26, 2020 12:54 PM

Subject : RTI Application URGENT - reg.

1 attachment

To : ram sanehi <ram_sanehi@yahoo.com>,
director docd
<director_docd@rediffmail.com>, Director
Jute Development Kol <djd@nic.in>, DMD,
Jaipur <dmdrj00@nic.in>, DOD
<dod@nic.in>, dpd.mp <dpd.mp@nic.in>,
Directorate of Rice Development
<drdpatna@nic.in>, Director Sugarcane
<dsd@nic.in>, dwd wheat
<dwd.wheat@gmail.com>,
bks941964@yahoo.com, Bipul Kumar
Srivastava <srivastava.bipul@nic.in>,
Directorate of Wheat Development
<dwd@nic.in>

All CDDs,

Please find the attachment and kindly provide the information in the prescribed requisite proforma (Point No. 5 in proforma).

Yours faithfully,

Sd/-

T. Kamzapau

Under Secretary to the Govt. of India

Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Room No.527-A, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110001

Office Telephone: 23384551, Intercom: 4827

Mobile No: +91-8527174659

Email: kp.tonsing@nic.in

[illegible]

174

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3 | Cabinet Minister's Secretary | | | | | | | | | |
| 4 | Prime Minister's Office | | | | | | | | | |
| 5 | Agriculture & Irrigation Ministry | 3 | ⊗ | 2 | ⊗ | 6 | ⊗ | - | - | 11 |
| 6 | Defence Ministry | | | | | | | | | |
| 7 | Social Welfare & Health | | | | | | | | | |
| 8 | Finance Ministry | | | | | | | | | |
| 9 | Home Ministry | | | | | | | | | |
| 10 | Chemical and Petroleum | | | | | | | | | |
| 11 | Human Resource Ministry | | | | | | | | | |
| 12 | Governor and Deputy Governor | | | | | | | | | |
| 13 | Ambassadors | | | | | | | | | |
| 14 | National Commission for Backward Classes | | | | | | | | | |
| 15 | Chief Secretary Office | | | | | | | | | |
| 16 | Ministry of Corporate Affairs | | | | | | | | | |
| 17 | Ministry of Women and Child Development | | | | | | | | | |
| 18 | IAS Officers | | | | | | | | | |
| 19 | IPS Officers | | | | | | | | | |
| 20 | IFS officers | | | | | | | | | |
| 21 | IRS officers | | | | | | | | | |
| 22 | Niti Aayog | | | | | | | | | |
| 23 | Ministry of Social Justice and | | | | | | | | | |

① Director LDC & Retain his maintain by CA IIIT
 MTS Ret. ~~MTS~~ ^{up} Allotted ~~the~~ ^{up} 7 MTS as per Roaster, this

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Empowerment | | | | | | | | | |
| 24 | Ministry of Railways | | | | | | | | | |
| 25 | Ministry of IT and Broadcasting | | | | | | | | | |

Why this information is required and why this has larger public interest.

- a. This information required under Right to Information act is intended to promote accountability and transparency in government by making the process of government decision making more open even noble acts of reservation are followed in precise and judicial manner in Govt officers.
- b. It was also emphasized that governance must be participatory. Hence participation of every strata of society (Person with different social background and different castes) of the society is equally important, This data can show if after 73 years of independence we have followed this affirmative acts of reservation in diligent manner.
- c. The basic object of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government, contain no-corruption, and make our democracy work for the people in real sense, Transparency is an important principle of good governance since a degree of clarity and openness about how decisions are taken can help to build the capacity of the poor and/or marginalised to play a role in policy formulation and implementation; to influence these judges decisions that affect Human lives in India ; Hence this information has larger public interest.
- c. In order that officials may be held accountable, the principle of transparency requires that the decisions and actions of those in government are open to public scrutiny and the public has a right to access government information. Both concepts are central to the very idea of democratic governance.

Hence this information must be provided free of cost.

Regards,

RTI REPLY

e-mail / Speed Post

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
दलहन विकास निदेशालय
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन
भोपाल-462 004 (म.प्र.)



सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Deptt. of Agri., Cooperation & Farmers Welfare
Directorate of Pulses Development
6th Floor, Vindhyachal Bhavan
Bhopal – 462004 (M.P.)

Telefax: 0755-2571678, Phone: 0755-2550353/ 2572313

F. No. 1-4/2019-DPD/ 703-04

Date 26.11.2020

To

Dr. Magan Govind Sasane
1335, Sant Tukaram Hospital and Clinic
C T Bora College Road
Taluka Shirur, Ghodnadi District
PUNE – 412 210.

Sub.: Information asked under RTI Act 2005 - Regarding.

Sir,


Kindly refer to your application dated Nil received in this Directorate through the Union Ministry of Agriculture, US (Crops), CA-III email dated the 26th November, 2020 wherein this Directorate has been asked to furnish the information in the prescribed proforma in respect of point number 5 of the application under reference. In this regard, the point No.5 information pertaining to this Directorate is given below:-

| No. | Department | General/Brahmins/ Upper Caste | | SC/STs | | OBCs | | Minorities/Adivasis/ Nomadic tribes | | Total Posts as on FY 2020 |
|-----|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| | | Actually exists as on FY 2020 | As per Rule as on FY 2020 | Actually exists as on FY 2020 | As per Rule as on FY 2020 | Actually exists as on FY 2020 | As per Rule as on FY 2020 | Actually exists as on FY 2020 | As per Rule as on FY 2020 | Current status FY 2019-20 |
| 5. | Agriculture & Irrigation Ministry | 3 | * | 2 | * | 6 | * | Nil | Nil | 11 |

Note: * Posts from Director to LDC Roster is maintained by CA-III of the Ministry and the post of MTS is filledup as per the Roster maintained by this Directorate.

The name and address of Appellate Authority is – Dr. A.K. Tiwari, Director, Directorate of Pulses Development, Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (DAC&FW), 6th Floor, Vindhyachal Bhavan, Bhopal - 462 004 (M.P.).

Yours faithfully,


(Rajesh Pawar)
Administrative Officer & CPIO

Copy forwarded for kind information to the Under Secretary (Crops), Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (DAC&FW), Room No.527-A, Krishi Bhavan, New Delhi - 110 001 - w.r.t. e-mail dated 26.11.2020.

किसी किताब / ISSUED
दि 26.11.2020
द्वारा / By